**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण याचिका**

न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश..............

प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. ............................. सन ..........................

थाना ....................विचारण न्यायालय में अगली तारीख .........................

के मुद्दे में ....................................

.

अबक .............याची

बनाम

1. राज्य
2. कखग
3. चछज ............प्रत्यर्थी

**अभिलेख की फाइल को सौप देने वाला विद्वान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट................................... द्वारा पारित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट के प्रस्तुत करने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. .................. दिनांकित .............. में आदेश दिनांकित ........................ को अभिखण्डित करने वाला तथा अपास्त करने के लिए प्रार्थना करने वाले दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 के अधीन पुनरीक्षण याचिका अति सादर पूर्वक प्रदर्शित करता है –**

1. यह कि याची ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 एवम् 420 सपठित धारा 120- ख के अधीन एक दाण्डिक परिवाद दाखिल किया है जो विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित है और तारीख ................................. की सुनवाई के लिए नियत किया जाता है। प्रत्यर्थियों के विरुद्ध याची द्वारा दाखिल किया कथित परिवाद इसमें इसके पुनःषेश किया जाता है।
2. यह कि परिवादी ..................................... का निवासी है और शान्ति प्रिय नागरिक है।
3. यह कि परिवादी .......................................... हमारी सम्पत्ति के .................................. के क्रय के लिए एक अभियुक्त सं. 2 ............................ के जरिये पहुँचा था।
4. यह कि अतएव, परिवादी तथा अभियुक्त सं. 2 .......................................... के जरिये अभियुक्त के बीच विस्तृत वार्ता ....................................... के पश्चात् .......................................... को सम्पत्ति का विक्रय करने का करार किया।
5. यह कि ......................................................................... कहा जाना है कि अभियुक्त ने परिवादी को यह अभ्यावेदन दिया ................................कि ...................................... सम्पत्ति सं. ................... अभियुक्त सं. 1 का था और वह उसकी सम्पत्ति का विक्रय के लिए सदैव तैयार एवम् इच्छा कर रहा था।
6. यह कि परिवादी को .................. होने के लिए उसके द्वारा कियेगये अभ्यावेदन के रूप में उसकी सम्पत्ति का विक्रय करने का करार करने वाले अभियुक्त सं. 2 के अनुसरण में, परिवादी एवं अभियुक्त सं. 1 एवम् 2 ने स्वयमेव के बीच में यह करार किया कि परिवादी पूर्ण एवम् अंतिम साल के रूप में अभियुक्त को .................. रुपये के एक प्रतिफल का संदाय करेगा।
7. यह कि तत्पश्चात् अभियुक्त को निम्नलिखित रूप में .................. रुपये की अग्रिम रकम तारीख .................... को संदाय किया।
8. 5,00,000/- नकद तौर पर।
9. 50,000 रुपये देखे सं. ................... से सम्बन्धित सम्पत्ति के प्रथम फर्श के लिए एक सरकारी सेवक का अपवर्जन कर सम्पूर्ण चबूतरा अधिकारो सहित प्रथम फर्श के विक्रय के विरुद्ध तारीख ................ को लिखा गया चैक सं. ................................दिनांकित .................... को।
10. यह कि ऊपर संदाय अभियुक्त सं. 2 की उपस्थिति में और उसके जरिये किया गया और अभियुक्त सं. 1 एक रसीद दिनांकित ............................... परिवादी को दिया और रसीद स्पष्ट रुपेण निम्नलिखित रूप में उल्लेख करती थी "रसीद"

नकद तौर पर ................... रुपये (................. रुपये मात्र) की रकम प्रथम फर्श सरकार क्वार्टर रहित .................. माप की वाली सं. .................... से सम्बन्धित साम्पतिक अधिकारों को सम्पूर्ण चबूतरे के साथ मेरे द्वितीय फर्श के विक्रय के विरुद्ध यथा अग्रिम संदाय तारीख ................. को चैक सं. ................... दिनांकित ..................... द्वारा ................... रुपये (............................... रुपये मात्र) द्वारा श्री ................... निवासी .................. से धन्यवाद सहित प्राप्त किया गया।

................. रुपये ................... रुपये मात्र) को बकाया रकम तारीख ................... को या उसकें पूर्व संदाय किया जाता है।

"हस्ताक्षर"

यह कि कथन किया जाता है कि अभियुक्त सं. 2 ने सम्पूर्ण संव्यवहार में वास्तव में भाग लिया और यह वही है जिसने अभियुक्त सं. 1 को परिवादी को धन सौप दिया। और यह भी वही था जिसने परिवादी को अभियुक्त सं. 1 को रसीद सौप दिया।

1. यह कि यह परिवादी द्वारा कथन किया जाता है कि अभियुक्त सं. 1 एवम 2 था उसने यह करार किया कि 40, 50, 100 रुपये की सम्पूर्ण बकाया रकम का संदाय .......................... को / इसके पूर्व संदाय किया जायेगा और उसका ऊपर रसीद दिनांकित ............................ में स्पष्ट तौर पर उल्लिखित किया गया था।
2. यह कि ................... की महीने के दौरान जब परिवादी ने ऊपर कथित संपत्ति के मुल दस्तावेजों को पेश करने एवम् प्रदर्शित करने के लिए .................. अभियुक्त से अनुरोध किया, उसको मूर्ख बनाया गया और कोई दस्तावेज उसको प्रदर्शित किया गया। परिवादी ने मूल कागजातो को प्रदर्शित करने के लिए अभियुक्त से बारम्बार अनुरोध किया लेकिन उन सभी मनगढंत कहानियाँ अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत किया गया और कागजातो को परिवादी को कभी नहीं प्रदर्शित किया गया।
3. यह कि परिवादी द्वारा निष्कर्ष एक तथ्य पर तत्पश्चात् उसको यह जानकारी हुई कि ऊपरी कथित सम्पत्ति एक ................. की थी और न कि उसके द्वारा यथाकथित और उसके दूसरा दुव्यर्पदेशित अभियुक्त की नहीं थी।
4. यह कि परिवाद द्वारा अग्रिम जाँच के पश्चात् भी उसने यह पाया कि सम्पत्ति सं. ................. को एक .................. के द्वारा .................. को तारीख .................... को बेची गयी। इस प्रभाव की विक्रय विलेख की एक ज़ेरोक्स प्रतिलिपि इसके साथ परिवेष्टित की गयी।
5. यह कि इन सभी तथ्यों को जानने के पश्चात् परिवादी ने अभियुक्त सं. 1 तथा अभियुक्त सं. 2 से धन को वापस कर देने के लिए अनुरोध किया लेकिन इन सभी लोगों ने यहाँ धन वापस नहीं किया है और यहाँ धन वापस कर दिया और इस प्रकार उपर्युक्त धन के परिवादी को धोखा दिया।
6. यह कि तत्पश्चात् परिवादी ने मुद्दे का अन्वेषण करने हेतु थाना के साथ तारीख ............... को एक परिवाद रजिस्ट्री कृत करवाया लेकिन उस तारीख तक कोई कार्यवाही चाहे जो भी इस प्रकार की हो, मामले में नहीं किया गया और किसी धन का संदाय परिवादी को नहीं किया गया है।
7. यह कि सभी अभियुक्तों ने दुव्यपदेशित करके तत्पश्चात् .............. रुपये की एक रकम का परिवादी के साथ धोखा करते हुए भा. द. सं. की अनेक धाराओं के अधीन अपराध कारित किया है। अभियुक्त ने भा. द. सं. की धारा 420, 406 सपठित धारा 120ख के अधीन विशेष तौर पर उस समय कारित किया है जब वे प्रश्नगत सम्पत्ति के स्वामी नहीं थे।
8. यह कि विद्वान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने मामले को रजिस्ट्रीकृत करने तथा उसका अन्वेषण करने के लिए थानाध्यक्ष, थाना .................... को निर्देश दिया देखे : आदेश दिनांकित . .................. को। परिणामतः थानाध्यक्ष ने तारीख ................... को एक परिवाद रजिस्ट्रीकृत कराया : देखे प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. ............... और अन्वेषण प्रारम्भ किया।
9. यह कि थानाध्यक्ष, थाना ................... से द. प्र. सं. की धारा 173 के अधीन अन्वेषण की अंतिम रिपोर्ट दिनांकित ............ तारीख .......................... को विद्वान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त की गयी।
10. यह कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन अंतिम रिपोर्ट की रसीद पर निम्नलिखित रूप में तारीख .................... को आदेश पारित करता है –

"मामला हल किये गये बिना रहता है।

नजदीक भविष्य में किसी निष्कर्ष की

संभावना नहीं। यह एक पुराना मामला

है। फाइल अभिलेख को सुपर्द कर दिया

जाए।

हस्ताक्षर

1. यह कि विद्वान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने परिवादी को कोई तारीख जारी किये बिना ऊपर कथित संदिग्धार्थी आदेश पारित किया जो विधि के उल्लंघन में है।
2. यह कि अभिलेख की फाइल को सुपुर्द कर देने वाला आदेश कराने वाला विद्वान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट का संदिग्धार्थी आदेश विधि विरुद्ध है और अन्य निम्नलिखित आधारों के बीच पेटेन्ट अवैधानिकता से ग्रस्त है और अभिखण्डित एवम् अपास्त किया जाने योग्य है।

**आधार**

1. यह कि विचारण न्यायालय संपूर्ण मामले के तथ्यों एवम् परिस्थितियों पर विचार किये बिना अभिलेख को फाइल सुपुर्द करने वाला आदेश करके मामले के तथ्यों एवम् परिस्थितियों पर इसको न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करने में असफल हो गया है।
2. यह कि विचारण न्यायालय अभिलेख को फाइल सुपुर्द करने वाला आदेश करने तथा सुने जाने का अवसर देने वाला आदेश करने के पहले परिवादी को एक नोटिस देने में असफल हो गया।
3. यह कि विचारण न्यायालय का संदिग्धार्थी आदेश उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिलिखित विधि के अनुसार नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है जहाँ उन्होंने श्रेणीकृत ढंग से यह अभिनिर्धारित किया परिवादी को अवश्य सुना जाना चाहिए।
4. यह कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष विधि एवम् अभिलेख पर साक्ष्य के भार के विरुद्ध है।
5. यह कि विद्वान विचारण न्यायालय यह मूल्यांकन करने में असफल हो गया कि कार्यवाहियाँ परिवाद के आधार पर मामले में प्रारम्भ की गयी जिसको कभी नहीं खारिज किया गया और ऐसे रूप में, अभिलेख कक्ष को फाइल सौप देने का कोई प्रश्न नहीं था। साक्ष्य देने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। न्यायालय मामले को बन्द करने तथा परिवादी के साक्ष्य को अभिलिखित किये बिना अभिलेख कक्ष को इसको सुपुर्द करने के लिए सक्षम नहीं है। अभियुक्त को गैरहाजिर होने में भी दोष सिद्ध किया जा सकता है यदि उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हो और यदि दोषी पाया जाए।
6. यह कि यह अभिवचन कि अभियुक्त उपलब्ध नहीं है, विधि के आधार भूत सिद्धान्त के विरुद्ध है साक्ष्य को अभिलिखित किया जाना पड़ता है और निष्कर्ष दिया जाना पड़ता है मामले के अभिलेख कक्ष को मात्र विचारण के समाप्त हो जाने के पश्चात् अभियुक्त को तभी बाद में गिरफ्तार किया जा सकता है जब पाया जाय।

याची तारीख .................. को मात्र विद्वान मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट के कथित आदेश की जानकारी द्वारा जब यह विचारण न्यायालय के समक्ष हाजिर हुआ और यह सूचित किया गया कि मामले को अभिलेख कक्ष को सुपुर्द कर दिया गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द कर दी गयी है।

**प्रार्थना**

अतएव यह प्रार्थना की जाती है

1. यह कि यह आदरणीय न्यायालय यथार्थता, वैधानिकता और औचित्य के बारे में स्वमेव का समाधान करने के प्रयोजनार्थ उसका परीक्षण करने के लिए तथा संदिग्धार्थी आदेश दिनांकित .................. को अपास्त करने के लिए अभिलेखों को मंगाने की कृपा करें।
2. यह कि मामले को विधि के अनुसार अग्रिम साक्ष्य के लिए विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाए और
3. यह कि आदरणीय न्यायालय ऐसा अग्रिम आदेश (आदेशो) को पारित करने की कृपा करे जो मामले के तथ्यों एवम् परिस्थितियों पर पूर्ण न्याय कर सके।

याची के लिए अधिवक्ता